<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>
<u>स्वत्व वाद सं0–113/2016</u>
<u>CIS NO. :- 215/2019</u>

हाशीम गदी एवं अन्य.....वादीगण

बनाम

मृतक सहदेव महतो के विधिक प्रतिनिधि एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	**ORDER**	**REMARKS**
10.08.2022	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादीगणों की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 16.03.2017 के आदेश हेतु नियत है। वादीगणों की ओर से दिनांक 16.03.2017 को आदेश 39 नियम 1 एवं 2 एवं धारा 151 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **<u>आदेश (ORDER)</u>** वादीगणों की ओर से अपने निषेधाज्ञा आवेदन में कहा गया है कि वादीगणों द्वारा यह मुकदमा प्रतिवादीगणों के विरूद्ध वादपत्र की मद न0–02 की एराजी पर हकियत की घोषणा तथा अपने दखल कब्जे की पुष्टि हेतु लाया गया है। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष आपसी मेल और साजीश में वादीगणों के एराजी पर गलत दावा करते हुए हस्तक्षेप कर रहे है तथा वादीगणों को वादग्रस्त भूमि से बेदखल करने का प्रयास कर रहे है तथा विवादित भूमि को बेचने की बात कर रहे है। प्रतिवादीगण वर्तमान यथास्थिति परिर्वतित कर देना चाहते है। विवादित भूमि वादीगणों के खानदान की खतियानी भूमि है। मिरगा गदी के तीन लड़को में एक लड़का मंशी गदी था तथा मंशी गदी के शाखा वाले हक हिस्से पर ही यह विवाद है। मंशी गदी को अपने भाई से जो हिस्सा मिला मंशी गदी के मरने के बाद उनके दो लड़को गुलजार गदी और बच्चा गदी तथा दो लड़कियों जोखनी खातुन तथा शरीफन खातुन के बीच बंटवारा हो गया तथा सभी अपने दखल कब्जें में चले आये। इस जुबानी बंटवारें में गुलजार गदी को अन्य भूमि के अलावा खसरा 131 का 4 कट्ठा 6 धुर तथा खसरा 128 का 4 कट्ठा 6 भूमि हिस्से में मिला। गुलजार गदी के बहन शरीफन खातुन को खसरा न0–131 को 2 कट्ठा तथा अन्य एराजी के साथ मिला तथा उनका भी कब्जा हो गया तथा हासीम गदी को खसरा 128 का 4 कट्ठा 6 धुर तथा खसरा 131 का 4 कट्ठा 6 धुर हिस्से में मिला। हासीम गदी ने अपने हिस्से वाली खाता 166 खसरा 128 का 4 कट्ठा 6 धुर अपने बेटा रैफुल गदी को दिनांक 17.10.2016 को बख्शीसनामा कर दिया। रैफुल गदी बख्शीसनामा के आधार पर दखल कब्जा में चले आ रहे है। शरीफन खातनु के हिस्से वाली खाता 165 खसरा 131 का 2 कट्ठा जो अन्य एराजी के साथ मिला था शरीफन खातुन के मरने के बाद शरीफन खातुन के लड़को ने दिनांक 10.01.2003 को हाशीम गदी के लड़कों को बयनामा द्वारा उचित जर सम्मन लेकर बेच दिया। प्रतिवादीगण प्रथम पक्ष वादीगणों की उक्त भूमि पर जाली फरेबी गलत व शुन्य कागजात के आधार पर दावा कर रहे है। वादीगण मद न0–02 के भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से दखल कब्जें में चले आ रहे है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वादीगणों के पक्ष में	

लगातार 10.08.2022	प्रथम दृष्टया वाद तथा सुविधा का संतुलन भी वादीगण के पक्ष में है तथा वादीगणों के पक्ष में निषेधाज्ञा का आदेश पारित नही किया जाता है तो वादीगण अपने हकियत व कब्जे वाली भूमि से बेदखल हो जायेगें जिससे वादीगणों को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः वादीगणों का आवेदन स्वीकार किया जाय। प्रतिवादी संख्या–01 ता 09 की तरफ से दिनांक 06.05. 2017 को अपना प्रत्युत्तर दाखिल किया गया तथा प्रत्युत्तर में वादीगण द्वारा दायर आवेदन विधि द्वारा पोषणीय नही बताया गया तथा प्रथम दृष्टया ही निरस्त होने योग्य बताया। प्रतिवादीगणों का कहना है कि प्रतिवादी संख्या–01 ता 09 के संयुक्त पूर्वज मोती महतो थे। मोती महतो अपने दो पेसरान फुलदेव महतो एवं सहदेव महतो को छोड़कर स्वर्गवासी हो गये तथा फुलदेव महतो भी अपने एक पेसर प्रेमचन्द्र महतो को छोड़कर मर गये। प्रेमचन्द्र महतो इस वाद में प्रतिवादी संख्या–08 है उनकी पत्नी जानकी देवी प्रतिवादी संख्या–09 है मोती महतो के दुसरे पुत्र सहदेव महतो अभी जीवित है जो इस वाद में प्रतिवादी संख्या–01 हैं तथा प्रतिवादी संख्या–02 ता 07 सहदेव महतो के लड़के है। विवादित भूमि का सर्वेहाल खतियान मिरगा गदी के नाम पर दर्ज है। मिरगा गदी ही विवादित खाता न0–165 खसरा 131 मौजा भँवरा जो प्रत्युत्तर के मद न0–ख में दिया जा रहा है के मालिक थे। उक्त वर्णित भूमि मोती महतो ने मिरगा गदी से सीधे खरीद किया है तथा खरीदने के बाद से लगातार दखल कब्जा में चले आ रहे है। मोती महतो के दखल कब्जा को देखते हुए तत्कालीन बेतिया राज के द्वारा मोती महतो के नाम पर जमाबंदी न0–276 कायम हुआ जो जमींदारी उन्मुलन के बाद रिर्टन के आधार पर स्थानीय सिकटा अँचल में जमाबंदी न0–269 भी मोती महतो के नाम पर कायम हुआ। इसका मालगुजारी अदा कर लगातार रसीद हासिल करते चले आये तथा मोती महतो के मरने के बाद उनके वारिसान जो इस वाद में प्रतिवादी संख्या–01 ता 09 है दखल कब्जा में आ रहे है। इसी प्रकार मिरगा गदी के पोता बच्चा गदी से दिनांक 03.07. 1962 को खसरा न0–122 मौजा भँवरा का 2 कट्ठा जमीन मोती महतो ने खरीदा हालाकि कातिब के गलती से खाता न0–166 के बदले 165 अंकित हो गया तथा खसरा 128 के बदले दस्तावेज में खसरा 121 अंकित हो गया। लेकिन चौहद्दी बिल्कुल सही है। जो प्रत्युत्तर के मद न0–ग में दर्शित की गयी है। उक्त वर्णित दस्तावेज के आधार पर मोती महतो ने स्थानीय सिकटा अँचल में दाखिल खारिज कराकर जमाबंदी न0–485 कायम करा लिया तथा लगातार मालगुजारी रसीद कटाते चले आये तथा मोती महतो के मरने के बाद उक्त जमीन उनके वारिसान वाद के प्रतिवादीगण संख्या–01 ता 09 के कब्जें में चली आ रही है। मोती महतो के बड़े लडके फुलदेव महतो के स्वर्गवासी होने पर उनके लड़के प्रेमचन्द्र महतो प्रतिवादी संख्या–08 ने उक्त वर्णित 8 कट्ठा 6 धुर एराजी का आधा हिस्से के लिए बंटवारा खारिज वाद संख्या–216/2014–15 स्थानीय अंचल द्वारा स्वीकृत हो गया और इसके आधार पर अंचल ने प्रतिवादी संख्या–09 जानकी देवी के नाम पर 4 कट्ठा 3 धुर का नया जमाबंदी न0–1779 कायम कर दिया तथा शेष 4 कट्ठा 3 धुर की जमाबंदी संख्या–269 एवं 485 प्रतिवादी संख्या–01 के नाम पर रह गयी। साथ ही साथ प्रतिवादीगण उक्त वर्णित एराजी की	

लगातार 10.08.2022	भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र भी स्थानीय अंचल से प्राप्त कर लिया है। अतः वादी द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन खारिज किया जाय। उभय पक्षों को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित होता है कि यह वाद वादीगण द्वारा वादपत्र की मद न0–02 की भूमि पर हकियत की घोषणा तथा दखल कब्जे की पुष्टि कराने हेतु लाया गया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्ट्या वाद किसके पक्ष में तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है ? वादीगणों के द्वारा वादग्रस्त भूमि अपनी खतियानी भूमि दर्शित की है तथा विवादित भूमि का सर्वे हाल खतियान मिरगा गदी के नाम पर दर्ज होना बताया गया है। प्रतिवादीगणों के द्व ारा भी अपने प्रत्युत्तर में विवादित भूमि का खतियान मिरगा गदी के नाम से बताया गया है परंतु खाता संख्या–165 खसरा 135 मौजा भँवरा 6 कट्ठा 6 धुर जमीन मोती महतो के द्वारा मिरगा गदी से सीधे खरीद करना बतया है तथा खरीदने के बाद मोती महतो के नाम पर जमाबंदी न0–276 कायम होना बताया गया है तथा जमींदारी उन्मुलन के बाद सिकटा अंचल ने जमाबंदी न0–269 मोती महतो के कायम होना दर्शित किया है। इसी प्रकार दिनांक 03.07.19962 को मोती महतो के द्वारा खसरा न0–128 मौजा भंवरा की 2 कट्ठा जमीन मिरगा गदी के पोता बच्चा गदी से खरीदना बताया गया है जिसमें खसरा न0–128 के स्थान पर 121 एवं खाता न0–166 के बदले खाता न0–165 अंकित होना कातिब की गलती से होना बताया गया है लेकिन चौहद्दी सही दर्शित किया गया है। इस प्रकार विवादित भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज मोती महतो द्वारा खरीदगी जमीन दर्शित की गयी है तथा मोती महतो के समय से ही प्रतिवादीगणों के कब्जे में दिखायी गयी है जबकि वादीगणों द्वारा विवादित भूमि पर अपना कब्जा बताया गया है। अतः वाद के इस स्तर पर प्रथम दृष्ट्या वाद वादीगण के पक्ष अथवा प्रतिवादीगण के पक्ष में है यह निश्चित किया जाना उचित प्रतीत नही होता है। इसी प्रकार सुविधा का संतुलन भी वादीगणों की ओर जाता प्रतीत नही होता है तथा वादीगण को अगर निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो अपूर्णीय क्षति होना भी प्रतीत नही होती है। अतः वादीगणों का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 16.03.2017 को खारिज किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अग्रिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन में न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 14.09.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	